



## इनसाइट/द बगि पकिचर/देश-देशांतर: सोशल मीडिया (Fake News) के नियमन की तैयारी

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

ऑनलाइन मीडिया के नियमन के लिये कोई नयिम या दशिया-नरिदेश नहीं है, इसलिये एक नयिमक ढाँचे का सुझाव देने अर्थात् सोशल मीडिया के नियमन के लिये केंद्र सरकार ने एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सूचना एवं प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन तथा इंडियन ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है।

### समिति का दायरा (क्या है सरकार का कहना?)

सरकार का कहना है कि निजी टीवी चैनलों पर कंटेंट का नियमन 'कार्यक्रम एवं वजिजापन संहिता' करती है, जबकि प्रिंट मीडिया नियमन के लिये PCI के अपने नियम हैं, लेकिन ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज़ पोर्टल के नियमन के लिये कोई नयिम या दशिया-नरिदेश नहीं है।

- डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज़/मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/न्यूज़ पोर्टल के लिये एक नयिमक ढाँचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिये यह समिति गठित की गई है।
- इस समिति से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिये 'उचित नीतियों' की सफारिश करने को कहा गया है।
- यह समिति दशिया-नरिदेश तय करते समय FDI, टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं वजिजापन संहिता सहित PCI के नियमों को भी ध्यान में रखेगी।
- समिति ऑनलाइन मीडिया, न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री प्लेटफॉर्म के लिये उपयुक्त नीति तैयार करने की सलाह देगी, जिसमें डिजिटल प्रसारण को भी शामिल किया गया है।
- ऑनलाइन सूचना प्रसारण के क्षेत्र को वर्णित करना होगा, जिसमें प्रिंट और टेलीविज़न मीडिया के समान नियमों के तहत लाया जाना चाहिये।

### नयिमन और स्व-नयिमन हो सोशल मीडिया में

आज यह देखने में आ रहा है कि किस प्रकार के नयिमन-नियंत्रण के अभाव में सोशल मीडिया बेलगाम होता जा रहा है। अपरंपरागत मीडिया होने के बावजूद सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो कि संपूर्ण विश्व को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से दूरतगति से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। जैसा माहौल आज बन गया है उससे तो यह लगता है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर लीजिये, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी किसी गलती के लिये माफी मांगने की ज़रूरत भी नहीं समझी जाती, जो कि मुख्य धारा के मीडिया की पहचान मानी जाती है। इसे सटिज़िन जर्नलिज़्म का दौर कहा जा रहा है, जहाँ पत्रकारिता की जानकारी नहीं होने पर भी लोग ऐसा मानते हैं कि उनके पास जो सूचना है (गलत या सही जैसी भी) वह सबसे पहले लोगों तक उनके माध्यम से पहुँचनी चाहिये।

बेशक लोकतंत्र में एक मुक्त समाज में अभिव्यक्ति की गारंटी संविधान से मेली होती है और लोकतंत्र में मीडिया के नियमन के बजाय स्व-नयिमन को ही बेहतर मना जाता है। यह भी माना जाता है कि मीडिया को नियंत्रित करने का परिणाम सकारात्मक नहीं होता। लेकिन परंपरागत मीडिया माध्यमों, जैसे-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य मीडिया से अलग सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, जो इंटरनेट के माध्यम से एक आभासी दुनिया (Virtual World) की रचना करता है और इस दुनिया में आपको ले जाने के लिये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं।

सोशल मीडिया के एक हिससे में खबरों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने का रुझान दिखाई देता है और इसके लिये तथ्यों से खलिवाड़ भी होता रहता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, झूठे समाचार प्रसारित करने वालों पर रोक लगाने के प्रावधानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिये कुछ मानदंड तय करने होंगे और इनमें संतुलन कायम करना होगा। ये मानदंड इतने लचर भी नहीं होने चाहिये कि लोगों को इनका भय ही न रहे और न ही इतने कठोर होने चाहिये कि जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आँच आती हो। इसके लिये ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि झूठी खबर प्रचारित-प्रसारित करने वालों में यह डर तो रहे कि यदि ऐसा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।

### (टीम दृष्टि इनपुट)

- सरकार के अनुसार ऑनलाइन मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के लिये कोई दशिया-नरिदेश और मानदंड नहीं बनाए गए हैं। इन माध्यमों के लिये नियमों की सफारिश करने से पहले कमेटी को एफडीआई मानदंड, केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट और प्रेस काउंसिल द्वारा जारी

कथि गए मानदंड, न्यूज़ बरॉडकास्ट एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कोड ऑफ एथिक्स, इंडियन बरॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लयि नरिधारति कथि गए मानदंडों को ध्यान में रखना होगा ।

## नयिडन की ज़रूरत कथों?

जयों-जयों सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप और इंस्टाग्राम आदिकी ताकत और पहुंच बढ़ती जा रही है, तयों-तयों उनके नयिडन की ज़रूरत भी अधिक शदिदत के साथ महसूस की जाने लगी है । सरकार तो इन पर नयितरण चाहती ही है की जाने लगी है । सोशल मीडिया का जसि व्यापक पैमाने पर सुनयोजति रूप से दुरुपयोग कथि जा रहा है और उस पर जसि प्रकार का अमर्यादति एवं उचछूंखल व्यवहार देखने में आ रहा है, वह कसिी को भी चतिति करने के लयि काफी है ।

आज सोशल मीडिया नरिबाध, अनयितरति और अमर्यादति अभवियकतिका मंच बन गया है; दूसरे से असहमति होने पर गाली-गलौज करना, धमकयिा देना आम होता जा रहा है । व्यकत और समुदाय वशिष के खलिफ नफरत फैलाने और दंगों की भूमिका बनाने में भी सोशल मीडिया की सकरयिता देखी गई है; इसीलिये सर्वोच्च न्यायालय भी सोशल मीडिया के नयिडन के लयि सरकार से कानून बनाने को कह चुका है ।

## फेक न्यूज़ कथ है?

फेक न्यूज़ को आप एक वशिाल वट-वृक्ष मान सकते हैं, जसिकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं । इसके तहत कसिी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य आते हैं । कसिी व्यकतिया संस्था की छविको नुकसान पहुँचाने या लोगों को उसके खलिफ झूठी खबर के ज़रयि भड़काने की कोशशि करना फेक न्यूज़ है । सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के ज़रयि अपनी रीडरशिपि और ऑनलाइन शेयरिंगि बढ़ाकर क्लिकि रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं । डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनयिा भर में फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है । इसके ज़रयि कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है, कसिी की भी छविको नुकसान पहुँचाया जा सकता है । इसलिये ऐसी खबरों पर रोक लगाने की कोशशि दुनयिाभर में की जा रही है ।

## फेक न्यूज़ पर मलेशयिा में बना कानून

फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हाल ही में मलेशयिा में एंटी-फेक न्यूज़ कानून 2018 लागू कथि गया है, जसिमें सरकार को फेक न्यूज़ बनाने-फैलाने का आरोप सदिध होने पर दंडति करने का अधिकार मलि गया है । इस कानून के तहत दोषी को छह साल तक के कारावास और अधिकतम पांच लाख रगिति (1 लाख 30 हजार डॉलर=करीब 84 लाख रुपए) के जुर्माने का प्रावधान कथि गया है । स्थानीय और वदिशी मीडिया दोनों इस कानून में शामिल हैं । इस कानून के तहत ऐसे समाचार, सूचना, डाटा या रपॉर्ट जो पूरी तरह या आंशकिक तौर पर झूठे हैं, उन्हें फेक न्यूज़ की श्रेणी में रखा गया है । इसमें फीचर, वजिुअल एवं ऑडियोरिकारिडगि शामिल हैं तथा डिजिटल प्रकाशन और सोशल मीडिया भी इस कानून के तहत रखे गए हैं । अगर फेक न्यूज़ से मलेशयिा या मलेशयिाई नागरकिकि प्रभावति होता है तो यह कानून वदिशयिा सहति मलेशयिा से बाहर उल्लंघन करने वालों पर भी लागू होगा ।

(टीम वृषटिइनपुट)

## और कथ कथि जाना चाहयिे?

प्रटि और इलेक्ट्रॉनिकि मीडिया के ज़रयि प्रसारति होने वाले समाचारों एवं वचिारों के चयन से लेकर संपादन की एक व्यवस्था है, लेकनि समाज पर व्यापक प्रभाव छोड़ने वाले सोशल मीडिया में संदेश के संपादन की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है क सोशल मीडिया से प्रसारति वचिारों और सूचनाओं को संतुलति करने के लयि कोई व्यवस्था बनाई जाए । लेकनि, कोई भी व्यवस्था या कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक उसे समाज से सहयोग न मलि । इसलिये सोशल मीडिया का नयिडन करने की व्यवस्था बनाने में सामाजकिकि सहमतिकि होना आवश्यक है ।

- सोशल मीडिया से घुणा फैलाने वाली सामग्री पर नगिरानी रखने और उसे हटाए जाने के उपाय कथि जाने चाहयिे ।
- लोगों में तरकसंगत सोच का वकिकास करने की आवश्यकता है, ताकवि कसिी भी चीज़ पर बनिा सोचे-समझे वशिवास न करें ।
- अपने वक्तवयों से धारमकिकि उन्माद फैलाने वाले नेताओं और धरमगुरुओं को चहिनति कर उनके भाषणों की नगिरानी की जानी चाहयिे और हेट स्पीच के दोषयिा पर कड़ी काररवाई की जानी चाहयिे ।
- भारत को हेट स्पीच के मामले में कनाडा, जर्मनी और यूनाइटेड कगिडम से सीख लेने की आवश्यकता है । इन देशों ने सोशल मीडिया को न केवल वनियिमति कथि है, बल्कि इन्हें अपराध मानते हुए कुछ वशिष प्रावधान भी कथि हैं ।

## जर्मनी के कानून को नज़ीर बनाएँ

सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए देश में कंटेंट पर नगिरानी के लयि एक प्रभावी तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है । इसके लयि सोशल मीडिया चलाने वालों को इस बात के लयि वविश करना पड़ेगा कवि अपने यहाँ शकियात अधिकारी की नयिकृत करने के अलावा अपने कार्यालय तथा सरवर भारत में लगाएँ । जहाँ तक इसके वनियिमन के लयि कानून की बात है तो देश में कानून बहुत हैं, लेकनि उन पर प्रभावी अमल नहीं हो पाता । इसलिये भारत को जर्मनी जैसे कठोर कानून की ज़रूरत है । पछिले वर्ष जर्मनी की संसद ने इंटरनेट कंपनयिाओं को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध, नसलीय, नदिनीय सामग्री के लयि जवाबदेह ठहराने वाला एक कानून पारति कथि है । इसके तहत उन्हें एक नशिचिति समयावधि में आपततजिनक सामग्री को हटाना होगा अन्यथा उन पर 50 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है । यह कानून लोकतांत्रकिकि देशों में अब तक का संभवतः सबसे कठोर कानून है । वहाँ जब इंटरनेट कंपनयिाओं ने इस कानून को अभवियकतिकी वैध स्वतंत्रता के लयि संभावति खतरा बताते हुए चतिा जताई तो जर्मनी के न्याय मंत्री ने यह कहकर इसका प्रतविद कथि क

"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त होती है, जहाँ आपराधिक कानून शुरू होता है अर्थात् Freedom of opinion ends where criminal law begins." ऐसे में यह देखना दलितचस्प होगा कि ऐसी सामग्री के वनियमन पर भारत क्या कदम उठाता है, जहाँ सोशल मीडिया पर उसके समाज का कई मुद्दों पर लगभग ध्रुवीकरण हो चुका है।

(टीम वृष्टि इनपुट)

हेट स्पीच पर वधिआयोग के सुझाव

वधिआयोग के अनुसार हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जाति, लिंग, यौन-उन्मुखता आदि के आधार पर किसी समूह के खिलाफ घृणा फैलाने के कृत्य शामिल हैं। भय या घृणा फैलाने वाले अथवा हिसा को भड़काने वाले भाषण का लिखित रूप में या बोलकर अथवा संकेत द्वारा प्रेषित किया जाना ही हेट स्पीच है। उपरोक्त समिति की रिपोर्ट आने से कुछ माह पूर्व वधिआयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में हेट स्पीच का दायरा बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी, जिसमें उसने कहा था...

- हिसा के लिये उकसाने को ही नफरत फैलाने वाले बयान के लिये एकमात्र मापदंड नहीं माना जा सकता।
- ऐसे बयान जो हिसा नहीं फैलाते, उनसे भी समाज के किसी हिससे या किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुँचाने की संभावना होती है।
- 'घृणा फैलाने पर रोक' के लिये भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर नई धारा 153(C) जोड़ी जाए। इसके लिये दो साल की कैद और जुर्माने के दंड की सफारिश की थी।
- IPC में एक नई धारा 505A जोड़ी जाए, जो 'कुछ मामलों में भय, अशांति या हिसा भड़काने' के कृत्यों से जुड़ी हो। इसके लिये एक साल की कैद और जुर्माने अथवा बर्ना जुर्माने की सफारिश की गई थी।

### हेट स्पीच पर टी.के. वशिन्नाथन समिति के सुझाव

इंटरनेट पर घृणा फैलाने वाले भाषणों (Hate Speech) से निपटने के लिये नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन की सफारिश के लिये गठित लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. वशिन्नाथन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने पछिले वर्ष अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव सरकार को दिये थे। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द किये जाने के बाद गठित की गई थी।

- इन सुझावों में समिति ने सभी राज्यों में साइबर अपराध समन्वयक नियुक्त करने और हर ज़िले में साइबर अपराध प्रकोष्ठ गठित करने की सफारिश की थी।
- समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ अनुच्छेद हटाने और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करने की भी सफारिश की थी।
- इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, गाली-गलौज, धमकियों या अफवाहों पर काबू पाने के उपाय सुझाए थे।
- इसमें हेट कंटेंट को पकड़ने के लिये भी सरकार को सुझाव दिये गए थे।
- सोशल मीडिया पर महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले और उनकी नजिता की सुरक्षा हो, इस बारे में भी समिति ने वसितार से सुझाव दिये थे।
- समिति ने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता और सूचना तकनीकी कानून में संशोधन करके सख्त सज़ा का प्रावधान किये जाने की सफारिश की है। इनमें एक बदलाव करने की सफारिश करते हुए यह भी कहा गया कि किसी भी कस्म की सामग्री द्वारा नफरत फैलाने के अपराध के लिये दो साल की कैद या पांच हजार रुपए जुर्माना या फरि दोनों की सज़ा निर्धारित की जाए।
- भय या अफवाह फैलाने या हिसा के लिये उकसाने के लिये भी एक साल की कैद या पांच हजार रुपए या फरि दोनों की सफारिश की गई थी।

(टीम वृष्टि इनपुट)

**नषिकर्ष:** वर्तमान में सोशल मीडिया रीटी, कपड़ा और मकान की तरह हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज तीनों को प्रभावित किया है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्मों के बिना आज जीवन की कल्पना करना बेमानी है। इन सोशल प्लेटफॉर्मों से बनी सोसाइटियों में सबके अपने-अपने सत्य हैं और देखा यह जाता है कि लोग एक आंशिक सत्य को ही पूर्ण सत्य बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। अपने आंशिक सत्य के सामने वह दूसरे के आंशिक सत्य को देखना भी नहीं चाहते। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, जिस पर एक बार संदेश प्रसारित हो गया, तब उसका नयितरण हमारे हाथ में नहीं रहता। वह समाज के सामने किस प्रकार प्रस्तुत होगा, समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, यह तय नहीं है। वधि किये बिना प्रसारित यह आंशिक सत्य समाज में कई बार तनाव का कारण बनता है। सोशल मीडिया के अनाम-गुमनाम सपिहियों की स्थिति तो 'बंदर के हाथ में उस्तारा' जैसी है, उन्हें तो बस इसका इस्तेमाल करना है, फरि चाहे वह परायों को काटे या अपनों को। इसलिये सोशल मीडिया से यह आशा करना व्यर्थ है कि वह 'स्व-अनुशासन' या 'स्व-नियमन' जैसा कोई कदम उठाएगा। इसलिये आज आवश्यकता है कि सोशल मीडिया का वैधानिक नियमन करने के लिये ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि इसका सकारात्मक उपयोग बढ़े और नकारात्मक उपयोग कम-से-कम हो।

